स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 95, दिनांकः 28–03–2025

अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का 01 सदस्य भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 27–03–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 01 सदस्य को भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

1– कपिल वर्मा करवल पुत्र गुरवचन दास निवासी म0नं0 168, सेक्टर–52, थाना सेक्टर–36, चण्डीगढ़।

बरामदगीः–

1– 459 पेटी अलग–अलग ब्राण्ड की अवैध अंग्रेजी शराब।
2– 10,230/– रूपये नगद।
3– 02 अदद मोबाईल फोन।
4– 01 अदद डीएल।
5– 01 अदद एटीएम कार्ड।
6– 01 अदद आधार कार्ड।
7– 01 अदद टाटा ट्रक नं0 पीबी–65 एएच–3597
8– 700 बोरी वालपुट्टी।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थानः

दिनांक 27–03–2025 समय 08.30 बजे सायं थाना काकोरी, जनपद–लखनऊ।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के रास्ते बिहार राज्य में अवैध शराब की तस्करी होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया, जिसके अनुपालन में श्री सत्यसेन यादव अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह यादव, मु0आ0 प्रभात कुमार, विजेन्द्र नाथ राय, नीरज कुमार मिश्र, नीरज कुमार, आरक्षी अमित कुमार एसटीएफ लखनऊ की टीम जनपद लखनऊ में भ्रमणशील थी। इस दौरान विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि वालपुट्टी के बोरियों के बीच में चण्डीगढ़ से अवैध शराब छिपाकर अवैध तरीके से बिहार राज्य में सप्लाई किया जा रहा है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस–वे टोल प्लाजा थाना क्षेत्र काकोरी, जनपद लखनऊ से 01 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तो ने पूछताछ में बताया कि उनका एक गिरोह है, जो बिहार राज्य में शराब बन्दी होने के कारण बिहार में अवैध रूप से शराब की सप्लाई करता है। पंजाब एवं हरियाणा राज्य से अवैध रूप से अंग्रेजी शराब प्राप्त करते है जिसे बिहार राज्य के अलग–अलग

जनपदों में सप्लाई करते है। इस बार यह अवैध शराब चण्डीगढ़ निवासी राहुल ने लोड कराया था, जिसे बिहार के समस्तीपुर पहुँचने पर यह पता चलता कि यह माल किसे और कहाँ देना है। इस काम के लिए प्रति चक्कर रू0 50 हजार इसे मिलता है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना काकोरी, जनपद लखनऊ में मु0अ0सं0 91/2025 धारा 318(4)बीएनएस व 60/63/72 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।